न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 159/2025 बउनवानी भवानी शंकर शर्मा **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र स्व0 श्री सूरजमल शर्मा निवासी, 32ए राजबिहार कॉलोनी राजकीय कन्या महा0 के पास,स0मा0

GCMS No-2025/ 322

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर की निर्वाचक नामावली भाग संख्या 130,144 मकान नम्बर 121 की निर्वाचक नामावली की प्रति।* " उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2024/1399 दिनांक 12.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2025 में चाही गयी सूचना (मतदाता सूची वर्ष 2002,2007) उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1268 दिनांक 3.10.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक अपनी आपत्ति प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2025 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना अभी तक प्राप्त नही होना बताया गया है जबकि उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त सूचना जरिये पत्रांक 1268 दिनांक 3.10.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचना पुनः भिजवायी जावे ओर यदि सूचना भिजवायी जा चुकी है तो उक्त सूचना अपीलान्ट को प्राप्त होने की प्राप्ति रसीद 7 दिवस मे इस न्यायालय को भिजवाये। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner